



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर जान बूझकर चोट पहुँचाने व अपमानित करने वाले हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को 49 दिवस के कारावास व ₹1,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कुरारा में पंजीकृत अ०सं-59/2009 धारा 323/504 भा०द०सं०में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय एसीजेएम कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त पप्पू उर्फ कालिया पुत्र कालीदीन नि० अस्पताल के पीछे कस्बा व थाना कुरारा जनपद हमीरपुर को 49 दिवस के कारावास व ₹1,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



एपीओ श्री पवन
बाजपेई



विवेचक
उ०नि० सूबेदार
सिंह



पैरोकार थाना कुरारा
का० रजनीश कुमार